महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्ब, जिला ऊना के निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2007 से 3/2012

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही के सत्यापनोपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई। अनिर्णीत अंकेक्षण आपत्तियों के पूर्ण निपटारे हेतु अविलम्ब कार्यवाही की जाए।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 6/1997 से 3/1999:–

1	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2000:–

1	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	
2	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–8	निर्णीत	(हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 42.2 (XL) तथा 42.3 (viii) के अनुसार)
4	पैरा–9 (क)	निर्णीत	(हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 42.2 (viii) के अनुसार)
5	पैरा–11 (क)	निर्णीत	(प्रधानाचार्य के द्वारा दिए गए सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
6	पैरा–12	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2012 तक में पैरा संख्या 21 प्रारूपित)
7	पैरा–15	निर्णीत	(हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 42.2 (xvi) के अनुसार)

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा–5 (ग)	निर्णीत	((i) निम्नानुसार ₹3804 मिश्रित निधि में जमा करवाए गए जिसकी पुष्टि रोकड़ वही पृष्ठ 27 पर कर ली गई है:–) ((ii) शेष किया गया व्यय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 42.2 के अनुसार)
2	पैरा–5 (घ)	निर्णीत	(₹200.00 जमा करने बारे पुष्टि रोकड़ वही पृष्ठ 27 पर कर ली गई)
3	पैरा–5 (ङ)	निर्णीत	(प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए सटिप्पण उतार के अनुसार महाविद्यालय में तीन ब्लॉक है। छात्रों की सुविधा के लिए दो ब्लॉक मे कूलर लगाए गए थे तथा तीसरे ब्लॉक के लिए इस कूलर का क्रय किया गया)
4	पैरा–5 (छ)	अनिर्णीत	
5	पैरा–5 (ट)	अनिर्णीत	
6	पैरा–6	अनिर्णीत	
7	पैरा–9	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2012 तक मे ंपैरा संख्या 21 पुन– प्रारूपित)

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1	पैरा–5	अनिर्णीत	
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–8	अनिर्णीत	
4	पैरा–9	अनिर्णीत	
5	पैरा–12 (क)	निर्णीत	(₹2367.00 जमा करने बारे पुष्टि रोकड़ वही के पृ0 27 पर कर ली गई)
6	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा–13 (क)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2012 में पैरा संख्या 21 पुनः प्रारूपित)

8	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा–14	अनिर्णीत	
10	पैरा–15 (क)	निर्णीत	(हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 42.2 (xxxiii)(xxi) के अनुसार)
11	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा–17 (क)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2012 में पैरा संख्या 27 पुनः प्रारूपित)
13	पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत	

(ङ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2005</u>

1	पैरा–4	निर्णीत	(सुझावानुसार कार्यवाही की जा रही है)
2	पैरा–5	अनिर्णीत	
3	पैरा–6	निर्णीत	(₹890.00 जमा करने बारे पुष्टि रोकड़ वही पृष्ठ 27 पर कर ली गई)
4	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत	
5	पैरा–8 (2)	निर्णीत	(₹3600.00 जमा करने बारे पुष्टि रोकड़ वही पृष्ठ 27 पर कर ली गई)
6	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत	
7	पैरा–8 (4)	अनिर्णीत	
8	पैरा–9	अनिर्णीत	
9	पैरा–10	अनिर्णीत	
10	पैरा–12	अनिर्णीत	
11	पैरा–13	निर्णीत	(₹2000.00 जमा करने बारे पुष्टि रोकड़ वही पृष्ठ 27 पर कर ली गई)
12	पैरा–14	अनिर्णीत	
13	पैरा–15	निर्णीत	(हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 42.2 (xxxix) के अनुसार)
14	पैरा–16	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007

1	पैरा–3	निर्णीत		
2	पैरा–4 (क)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2012 में पैरा संख्या 4 में नवीनतम स्थिति दर्शा दी गई)	
3	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत		
4	पैरा–4 (ग)	निर्णीत	(सावधि जमा में निवेश कर दिया गया)	
5	पैरा–5	निर्णीत	(निम्नानुसार ₹16753.00 वापिस निधि मे ंजमा करवा दिए गए है)	
			रोकड़ वही पृ0सं0	**राशि**
			88	1451.00
			144	15302.00
				16753.00
6	पैरा–6	अनिर्णीत		
7	पैरा–7	अनिर्णीत		
8	पैरा–8	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/2012 में पुनः प्रारूपित)	
9	पैरा–9	अनिर्णीत		

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय, अम्ब, जिला ऊना के निधि लेखाओं अवधि 4/2007 से 3/2012 तक का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) एवं श्री संजीव कुमार अशोत्रा, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19.10.2012 से 23.11.2012 तक अम्ब में किया गया। विस्तृत पड़ताल हेतु मास 8/07, 6/08, 7/09, 7/10 व 6/11 आय के लिए व मास 8/07, 11/08, 12/09, 11/10 व 9/11 व्यय के लिए चयनित किए गए।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। महाविद्यालय द्वारा प्रदान

की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना न प्रदान करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत्त रहे थेः—

क्र0सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्रीमती भगवत्ती वाली	1.6.06 से 31.12.08
2	डा0 अमरजीत शर्मा	2.1.09 से 4.1.10
3	श्रीमति प्रवीण बाला	5.1.10 से 7.12.10
4	श्रीमती किरण लोहिया	8.12.10 से 16.5.12

3 अंकेक्षण शुल्कः—

महाविद्यालय के लेखाओ अवधि 4/2007 से 3/2012 तक के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹35,000/—बनता है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है। अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 169/2012 दिनांक 24.11.12 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009 को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने हेतु प्रधानाचार्य से आग्रह किया गया। उक्त शुल्क की राशि को दि कांगड़ा सैन्ट्रल को ओप्रेटिव बैंक लिमिटेड के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संख्या 539402 दिनांक 27.11.12 जो कि दि एच0पी0 स्टेट को ओप्रेटिव बैंक लिमिटेड की शाखा शिमला में देय था, द्वारा भेज दिया गया।

	वर्ष	निधि लेखों से आय ₹ में	संचयिका लेखो से आय ₹ में	योग ₹ में	अंकेक्षण शुल्क ₹ में
(i)	2007—08	1686000	25529	1711529	7000
(ii)	2008—09	1063738	26529	1090267	7000
(iiii)	2009—10	732969	27927	760897	7000
(iv)	2010—11	955293	10660	965953	7000
(v)	2011—12	1302643	12434	1315077	7000
				योग	**35000**

4 वित्तीय स्थितिः–

महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय, अम्ब के छात्र निधि लेखों अवधि 4/2007 से 3/2012 की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट "क" पृष्ठ 1 से 7 पर दशाई गयी है। विज्ञान निधि (भौतिक रसायन, जीव जन्तु एवं वनस्पत्ति विज्ञान) तथा पुस्तकालय प्रतिभूति निधि के लेखों की रोकड़ वही का रख–रखाव अलग–2 किया गया जबकि मिश्रित निधि सहित 15 अन्य निधियो का रख रखाव संयुक्त रूप से किया गया है। दिनांक 31.3.12 तक समिश्रित निधि में ₹351790.00 का अन्तर था अन्तर का विवरण निम्न प्रकार से पाया गयाः–

(i)	सावधि जमा खाता संख्या SB/A/60 507976 अवधि 10/2008 से 10/2011 तक निवेशित राशि ₹1001917 पर प्राप्त ब्याज ₹335723 में से पुनः निवेशित ब्याज राशि ₹310766.00 (279918+30848) जिसे रोकड़ वही में आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया। शेष अनिवेशित राशि ₹24957.00 जिसे अंकेक्षण समाप्ति तक रोकड़ वही में न तो आय पक्ष में दर्ज किया था तथा न ही निवेशित किया गया है जिस बारे विस्तृत टिप्पणी/वर्णन पैरा संख्या 5 में किया गया है।	310766.00
(ii)	सावधि जमा खाता संख्या TD/A/64 078167 अवधि 12/08 से 12/2011 तक निवेशित राशि ₹10133/–पर प्राप्त ब्याज ₹3446 की राशि में से पुनः निवेशित ब्याज की राशि ₹2569/– को रोकड़ वही में आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था तथा प्राप्त ब्याज की शेष बची राशि ₹877.00 (3446–2569) जिसे अंकेक्षण समाप्ति तक रोकड़ वही में न तों आय पक्ष में दर्ज किया गया था और न ही निवेशित किया गया है, जिस बारे विस्तृत टिप्पणी/वर्णन पैरा संख्या 5 में किया गया है	2569.00
(iii)	मै0 ब्रहमा स्पोंटस हाऊस होशियारपुर को ₹38,455.00 के भुगतान हेतु जारी चैक संख्या 465943 दिनांक 5.3.2012 जो कि बैंक में भुगतान हेतु दिनांक 6.4.2012 को प्रस्तुत हुआ।	38455.00
		351790.00

अतः इस प्रकार दिनांक 31.3.2012 तक उक्त राशियों का जो कि आय व व्यय से सम्बन्धित थी, का रोकड़ वही तथा बैंक खाते में समायोजन/इन्द्राज न होने के कारण योग ₹351790.00 (310766+2569+38455) बनता है जिसका रोकड़ वही में समायोजन, ₹38455.00 को छोडकर, शीघ्र किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

आय

5 **₹25834.00 की राशि ब्याज के रूप में कम प्राप्त करनाः–**

मिश्रित निधि से किए गए निवेशों की जांच करने में पाया सावधि जमा खाता संख्या SB/A/60 507976 अवधि 10/2008 से 10/2011 तक का अर्जित ब्याज ₹335723.00 तथा सावधि जमा खाता संख्या TD/A/64 078167 अवधि 12/2008 से 12/2011 तक का अर्जित ब्याज ₹3446.00 कुल अर्जित ब्याज ₹339169.00 (335723+3446) बनता है जिसमें से बैंक द्वारा केवल नई सावधि जमा योजना में पुनः निवेश ₹282487.00 राशि का किया गया। ₹56682/–की राशि बैंक द्वारा पुनः निवेशित नहीं की गई। जिसे अंकेक्षण में आपत्ति उठाये जाने उपरान्त बैंक द्वारा ₹3084.00 की राशि को सावधि जमा योजना खाता संख्या 32638146541 अवधि 10/2011 से 10/2014 तक निवेशित करके दिया गया तथा शेष बची राशि ₹25834.00 बारे स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा, अम्ब के पत्र संख्या BM/2012/74 दिनांक 6.11.12 द्वारा शीघ्र क्रेडिट देने बारे कहा गया। अतः उक्त वसूली बारे मामला बैंक से उठाया जाए तथा शेष बची राशि ₹25834.00 की वसूली भी की जाए व रोकड़ वही में आवश्यक प्रविष्टियां तदानुसार ही की जाए।

6 **₹475680.00 की राशि खेलकूद निधि में कम वसूली करनाः–**

लेखा अवधि 4/2007 से 3/2012 के चयनित मासों में छात्रों से प्राप्त शुल्क व निधियों की आय की जांच करने पर पाया गया कि छात्र छात्राओं से खेलकूद निधि की वसूली की गई थी जबकि प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या ईडीएन–ए–खा(8) 1/2001 दिनांक 1.6.2010 द्वारा अनुमोदित दरों अनुसार खेलकूद निधि की वसूली ₹20.00 प्रति छात्र प्रतिमास की दर से नही की गई थी। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार ₹475680.00 की कम वसूली की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अंकेक्षण आपत्ति उपरान्त उक्त निधि की वसूली करके राशि को समिश्रित निधि की रोकड़ वही पृष्ठ संख्या 27 पर दर्ज करके दिनांक 23.11.2012 को जमा करवा दी गई जिसका सत्यापन कर लिया गया।

सत्र	छात्र सं0	दर	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूल की गई राशि (₹)	कम वसूल की गई राशि (₹)
2010—11	969	20 प्रति छात्र प्रतिमास	232560	—	232560
2011—12	1013	—यथोपरि—	243120	—	243120
				योग	**475600**

7 ₹480/—कम जमा बारेः—

रसीद संख्या 0198507 तथा 0198569 दिनांक 3.8.09 द्वारा प्राप्त ₹480.00 जिसे मिश्रित निधि में जमा नहीं करवाया गया। कम जमा बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अंकेक्षण आपत्ति उपरान्त राशि को रोकड़ वही पृष्ठ 26 पर इन्द्राज करके दिनांक 26.10.2012 को जमा करवाया गया जिसका सत्यापन कर लिया गया।

8 ₹12000/—की अनियमित व्यय की वसूली बारेः—

अंकेक्षण अवधि 4/2007 से 3/2012 के चयनित मासों में किए गए विभिन्न निधियों से व्यय की जॉच करने पर पाया गया कि 200 छात्रों जो कि "स्वयं वित्तीय प्रबन्धन" कार्सों से सम्बन्धित थे, को पहचान पत्र तथा मैगजीन जारी की गई "स्वयं वित्तीय प्रबन्धन" छात्र को इन निधियों से पहचान पत्र व मैगजीन जारी करना उचित नहीं था व इस पर किया गया व्यय इन निधियों पर उचित प्रभार नहीं था। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। कुल अनियमित व्यय राशि ₹12000/—को, अंकेक्षण आपत्ति उठाए जाने के बाद समिश्रित निधि का रोकड़ वही पृष्ठ 28 पर वसूली उपरान्त इन्द्राज करके दिनांक 27.11.2012 को जमा करवा दिया गया जिसका सत्यापन भी कर लिया गया।

निधि का नाम	सं0	दर	राशि ₹
पहचान पत्र	200	10	2000
मैगजीन	200	50	10000
		योग	**12000**

9 रसायन विज्ञान निधिः–

वा0सं0 37 मास 7/2007 ₹630.00

₹630.00 का भुगतान एल0पी0जी0 सिलेण्डर के क्रय हेतु किया गया। भुगतान से सम्बन्धित आवश्यक बिल/वाऊचर अंकेक्षण में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः बिल के अभाव में किया गया भुगतान अनियमित/अनुचित है। अतः अपेक्षित बिल आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाए अन्यथा वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके निधि लेखें में जमा करवाई जाए।

10 वाउचर संख्या 68 मास 9/07 ₹900.00

हिम इन्स्ट्रूमैन्ट एंड कैमीकल्ज, मैहतपुर को उनके बिल संख्या 7958 दिनांक 17.9.07 हेतु ₹900.00 का भुगतान निम्न विज्ञान सामग्री के क्रय के लिए किया गया। जॉच में पाया गया कि क्रय किए गए सामान का स्टॉक इन्द्राज तथा आगामी खप्त नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय हेतु ₹1000.00 का अग्रिम जारी किया गया था जिसमें शेष बचे ₹100.00 को लेखें में पुनः वापिस करने बारे पुष्टि भी नहीं करवाई गई। पाई गई त्रुटियों बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। वर्णित त्रुटियों के सन्दर्भ में किये गये व्यय को उचित ठहराया जाए अन्यथा ₹1000.00 के दर्शाए गए अनियमित व्यय की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके राशि लेखों में जमा करवाई जाए।

	विवरण	राशि (₹)
1	फिल्टर पेपर रिम	650.00
	कैपलरी टयूब	20.00
	फयूस्न टयूब	135.00
		865.00
	वैट	34.00
		900.00

11 वाउचर संख्या 77 मास 9/09 राशि ₹993.00

उपरोक्त वाउचर द्वारा ₹993.00 का भुगतान हिम इन्स्ट्रूमैन्ट एंड कैमीकल्ज मैहतपुर को उनके बिल संख्या 10080 दिनांक 3.9.09 द्वारा सप्लाई की गई विज्ञान सामग्री हेतु किया गया। जॉच मे ंपाया गया कि क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टि तथा आगामी खप्त

बारे कोई भी इन्द्राज अभिलेख में नहीं था जिसके अभाव में किया गया भुगतान सही नहीं माना जा सकता है। किये गए व्यय को उपरोक्त त्रुटियों के सन्दर्भ में उचित ठहराया जाए अन्यथा ₹993.00 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके निधि लेखें में तुरन्त जमा करवाई जाए।

12 रसायनों के क्रय बारेः–

जांच करने पर पाया गया कि रसायनों का क्रय बिना आवश्यकता व महाविद्यालय में उपलब्धता को अनदेखी करके अत्यधिक मात्रा में किया गया। दिनांक 31.3.12 तक छात्रों को प्रैक्टिकल करने के उपरान्त भी अत्याधिक शेष बची है। रसायनों का इतनी अधिक मात्रा में क्रय करना निधि पर अनावश्यक भार है जोकि अनुचित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है क्योकि प्रयोग अवधि निश्चित होने को ध्यान में रखते हुए इतनी अधिक मात्रा में शेष बचे रसायनों के एक्सपायर/कम परिणाम (Low Result potential) की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति दर्ज की गई है। फिर भी कोई भी सुधार नहीं हुआ। इस बारे पुनः परामर्श भी दिया जाता है कि भविष्य में रसायनों का क्रय छात्रों की संख्या तथा पूर्व एवं भविष्य की सम्भावित खपत के दृष्टिगत ही किया जाए ताकि निधि से अनावश्यक व्यय न किया जा सके। दिनांक 31.3.12 को शेष बचे रसायनों की सूची को परिशिष्ट "ख" पर दर्शाया गया है। पूर्व में अनावश्यक रूप से खरीदे गये रसायनों बारे व इनकी प्रयोग तिथि की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए निधि लेखा को हुई हानि की गणना करके आवश्यक जिम्मेवारी निर्धारित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 मैगजीन निधिः–

₹6259.00 का अनियमित/अनुचित व्ययः–

किए गए व्यय की जांच मे पाया गया कि मैगजीन का मुद्रण तथा मुद्रण पर व्यय, छात्र संख्या और निर्धारित दर से अधिक किया गया, जो कि आपत्तिजनक है। इस प्रकार मैगजीन के मुद्रण पर निम्न विवरणानुसार ₹6259.00 का अधिक व्यय किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके लेखें में तुरन्त जमा करवाई जाए। इसके अतिरिक्त जॉच में यह भी पाया गया कि सत्र 2007–08 में छात्र संख्या 866 थी जबकि मैगजीन का मुद्रण 1000 प्रतियॉ तथा सत्र 2009–10 में छात्र संख्या 880 थी तथा मैगजीन का

मुद्रण 980 प्रतियॉ किया गया। अर्थात सत्र 2007–08 में 134 तथा 2009–10 में 100 प्रतियों का अधिक मुद्रण किया गया। इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि मैगजीन का मुद्रण उचित वितरण तक सीमित किया जाए जिससे की निधि पर अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचा जा सके। मैगजीन की स्टॉक प्रविष्टियों एव आगामी वितरण की जांच भी अंकेक्षण में नहीं करवाई गई जिसे सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

वा0सं0	मास	मैगजीन सं0	प्राप्ति योग्य निर्धारित दर (प्रति मैगजीन) (₹)	मुद्रण हेतु व्यय दर (प्रति मैगजीन) (₹)	मुद्रण हेतु अधिक व्यय दर (₹)	अधिक व्यय राशि (₹)
21	5/2007	1000	25	28.75	3.75	3750
104	12/2009	980	25	27.56	2.56	2509
					योग	**6259**

14 ₹1125.00 का अनुचित/अनियमित व्ययः–

वा0सं0 32 माय 1/2007 ₹2340.00

उपरोक्त वाऊचर द्वारा ₹2340.00 का भुगतान न्यू शिवा आफ सैट प्रिंटरज, अम्ब को उनके बिल संख्या 102 दिनांक 3.7.07 द्वारा सप्लाई किए गए रजिस्टरों हेतु किया गया। जॉच मे ंपाया गया कि उक्त रजिस्टरों में 5 रजिस्टरों का मुद्रण संचयिका लेखों के रख रखाव हेतु किया गया। 225.00 प्रति रजिस्टर की दर से ₹1125.00 का किया गया व्यय उक्त निधि पर वैध प्रभार नहीं था। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए । अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करके छात्र निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

समिश्रित निधिः–

15 ₹24969.00 की वसूली बारे

समिश्रित निधि से कार्यालय टेलीफोन बिल के भुगतान हेतु ₹24969.00 का व्यय किया गया जो कि छात्र निधि पर वैध प्रभार नहीं था तथा न ही उक्त राशि कों दिनांक 31.3.12 और अंकेक्षण समाप्ति तक वापिस निधि में जमा करवाया गया। अनियमित प्रकार से भुगतान की

गई राशि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वसूली उचित स्त्रोत से करके छात्र निधि में राशि जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। किये गए व्यय का विवरण निम्न वर्णित है।

वा0सं0	**मास**	**उद्देश्य**	**राशि (₹)**
2	4/09	टैलीफोन बिल का भुगतान	960
5	5/09	–यथोपरि–	1083
19	7/09	–यथोपरि–	949
71	9/09	–यथोपरि–	3761
86	10/09	–यथोपरि–	3761
31	8/10	–यथोपरि–	7149
47	8/08	–यथोपरि–	766
63	8/08	–यथोपरि–	2466
90	11/08	–यथोपरि–	1143
97	12/08	–यथोपरि–	977
103	1/09	–यथोपरि–	977
111	2/09	–यथोपरि–	977
		योग	**24969**

16 वाउचर संख्या 66 मास 8/08 ₹3475.00

₹3475.0 का भुगतान जगत क्लाथ हाऊस, अम्ब जिला ऊना को 17 पर्दो के क्रय हेतु किया गया जोकि निधि पर वैध प्रभार नहीं थी। अनियमित रूप से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 ₹10650.00 का अनुचित व्ययः–

वाउचर संख्या 72–73 माह 11/2008 ₹10650.00

उपरोक्त वाऊचरों द्वारा ₹10650.00 का भुगतान एन0एस0एस0 व एन0सी0सी0 वांलटियरज के जलपान पर किया गया जो कि निधि पर वैध/उचित प्रभार नहीं था अनुचित रूप से आहरित एवं व्यय की गई राशि की भरपाई सम्बन्धित निधियों/उचित स्त्रोत से करके छात्र निधि लेखें में जमा करवाई जाए।

18 अंकेक्षण दौरान जॉच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से ऐसे व्यय किए गए जो मिश्रित निधि पर वैध प्रभार न हो कर भवन निधि से सम्बन्धित है। मिश्रित निधि से अनियमित/अनुचित प्रकार से किए गए व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उचित स्त्रोत से वसूली करके राशि मिश्रित निधि में जमा की जाए।

वा0सं0	**मास**	**उद्देश्य**	**व्यय राशि ₹ में**
2	8/07	सेनेटरी फिटिंग	5815
117	12/09	–यथेापरि–	20000
2	9/11	–यथेापरि–	1817
3	9/11	–यथेापरि–	1500
		योग	**29132**

19 **<u>पुस्तकालय प्रतिभूति निधिः–</u>**

<u>₹135695.00 मूल्य की पुस्तके बिना औपचारिकताऐं पूर्ण किये ही क्रय करनाः–</u>

निम्न विवरणानुसार पुस्तकालय निधि से कालातीत हुई राशि से ₹135695.00 मूल्य की विभिन्न पुस्तकों का क्रय निम्न विवरणानुसार पुस्तकालय हेतु किया गया। जॉच में पाया गया कि क्रय पूर्णतया सम्बन्धित संकायों के विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं को अग्रिम जारी करके उनके स्त्तर पर ही किया गया जिसमें आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया तथा पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के क्रय हेतु जारी पत्र संख्या GIO.M.F. OM 23 (7)-E 11(A)/83 दिनांक 7.2.1984 G.F.R 116(2)(1)(1978) में जारी दिशा निर्देशों की भी अवहेलना है क्योंकि उक्त क्रय में पत्र में वर्णित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की गई जिससे कि क्रय की गई पुस्तकों में सही/पारदर्शितता की पुष्टि नहीं होती। जो भी पुस्तकों के क्रय हेतु इच्छा जताता रहा उसे क्रय हेतु अग्रिम जारी कर दिया गया। जॉच में यह भी पाया गया कि उपरोक्त पत्र में वर्णित जरूरी बातों/निर्देशों में से किसी भी निर्देश का पालन नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त पुस्तक विक्रेताओं को जारी दिशा निर्देशों में से भी किसी का भी पालन नही किया गया था जैसे किः–

(a) Supply of publications at current catalague prices.

(b) Minimum 10% discount to be fixed to all

(c) No discount for central and state publication इत्यादि का विवरण किसी भी बिल पर प्रदर्शित नहीं था तथा न ही भुगतान बिल पर आपेक्षित प्रमाण पत्र (a) Only latest editions have been suppliesd, (b) prices have been currently charged in accordance with the publisher"s latest catalogul और न ही भुगतान बिल के साथ पुस्तक विक्रेता के पुस्तकों की कीमत को दर्शाता कैटालॉग की छाया/मूल प्रति संलग्न थी जिससे कि पुस्तकों के मूल्य को जॉचा जा सकता। ₹135695.00 की पुस्तकों की खरीद में पाई गए उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत स्थिति स्पष्ट की जाए। मामला आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से भी लाया जाता है।

वा0सं0	मास	मात्रा	राशि ₹	टिप्पणी
47	7/07	333	49874	
–	2/08	140	17625	
15	8/10	54	14080	
–	11/10	136	16891	कोई भी छूट नहीं दी गई थी
48	11/10		24413	स्टॉक प्रविष्टि की पुष्टि नहीं की गई
41			12812	
		योग	**135695**	

20 कालातीत पुस्तकालय प्रतिभूति निधि रोकड़ वही:–

दिनांक 31.3.2012 तक महाविद्यालय द्वारा कालातीत पुस्तकालय प्रतिभूति निधि की राशि ₹401926.00 का आंकलन किया गया जिसमें से ₹105617.00 को वाऊचर संख्या 3, 4/4 व 5/2 दिनांक 27.9.11 द्वारा खर्च कर दिया गया था। शेष वची कालातीत पुस्तकालय प्रतिभूति ₹296309.'00 को अंकेक्षण सुझावानुसार अलग से दिनांक 22.11.2012 को रोकड़ वही का निर्माण करके पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से हस्तांतरण करके कालातीत प्रतिभूति निधि के नाम से किया गया तथा अलग खाता खोलकर बैंक खाता संख्या 50053361702 में जमा करवाया गया। इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में भी कालातीत प्रतिभूति की सूची बनाकर राशि को रोकड़वही (कालातीत प्रतिभूति) में हस्तांतरण किया जाए व नियमानुसार ही व्यय किया जाए।

21 निम्नलिखित वाऊचरों द्वारा किए गए व्यय की स्टॉक प्रविष्टि तथा उसका आगामी वितरण बारे अभिलेख अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपेक्षित अभिलेख सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

वा0सं0	**मास**	**विवरण**	**मात्रा**	**व्यय राशि ₹ में**
10	9/11	पहचान पत्र	1300	11602.00
11	9/11	मैगजीन	1200	50400.00

22 **<u>व्यय हेतु अग्रिम बारेः—</u>**

अंकेक्षण अवधि 4/2007 से 3/2012 के दौरान किए गए भुगतानों की जांच में पाया गया कि सभी संकायों को मॉग अनुसार सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/प्रवक्ताओं को अग्रिम जारी किये गये जांच करने पर पाया गया कि अग्रिम राशियां क्रय से पूर्व कई वार महीना या महीनों पहले ही जारी कर दिया जाता है और अत्याधिक जारी किया जाता है, कई मामलों में यह भी पाया गया कि यह क्रय से दोगुना राशि में भी था उदाहरणतया वाउचर संख्या 48 माह 11/10 में पुस्तकों के क्रय हेतु ₹50000/—का अग्रिम दिया गया परन्तु व्यय केवल ₹24413.00 का ही हुआ। इस प्रकार के उदाहरण अन्य खरीद मामलों में भी है। महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह या अन्य समारोह हेतु भी अग्रिम जो हजारों, लाखों तक है, जारी किया जोकि वित्तीय नियमों के विपरीत है। यह खरीद कार्यालय स्तर पर आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए व भुगतान चैक द्वारा फर्म/व्यक्ति के होना वांन्छित था। इस प्रकार के प्रकरणों से वित्तीय कुप्रबन्ध नही झलकता है। पाई गई गम्भीर त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इस प्रक्रिया को बन्द किया जाए और भविष्य में कार्यालय स्तर पर आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करके आवश्यक क्रय किया जाए व फर्म को ही चैक द्वारा भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

23 समिश्रित निधि से व्यय बारेः–

समिश्रित निधि से किए गए व्यय की जांच करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 1973 (As amended from time to time) खण्ड–2 के अध्याय XLII में समाविष्ट प्रावधान 42.1 (वी) के अनुसार समिश्रित निधि से व्यय छात्र एवं स्टाफ के प्रतिनिधियों के परामर्श/अनुमोदनानुसार ही पूर्ण रूपेण कर सकते है। परन्तु जॉच मे पाया गया कि ऐसी किसी भी परामर्श को व्यय पूर्व अथवा बाद में प्राप्त नहीं किया गया था जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

24 विश्वविद्यालय से प्रयोगशाला व्यय (टूट फूट शुल्क) की वसूली न करने बारेः–

जांच में पाया गया में निम्नविवरणानुसार विज्ञान विषयों से सम्बन्धित छात्रों के विज्ञान टूट–फूट शुल्क को विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं किया गया था। अतः उक्त अवधि के लिए निम्न वर्णित दरों अथवा अन्य लागू देय दरों अनुसार वसूली शीध्र की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ए) रसायन विज्ञानः–

B.Sc.-1 year	₹2.50 per candidate
B.Sc.-II & III year	₹7.50 per candidate

(वी) वोटनी विज्ञानः–

B.Sc.-1 year	₹1.00per candidate
B.Sc.-II & III year	₹2.00 per candidate
M.Sc	₹5.00 per candidate

(सी) भौतिक विज्ञानः–

B.Sc.-1 year	₹0.64 per candidate
B.Sc.-II & III year	₹1.25 per candidate

(डी) ज्योग्राफी विज्ञानः—

B.A./B.Sc. 1 year	₹0.75 per candidate
B.A./B.Sc. II& III year	₹1.00 per candidate
M.A./.Sc	₹5.00 per candidate

(ई) जूलोजी विज्ञानः—

B.Sc.-1 year	₹3.00 per candidate
B.Sc.-II & III year	₹4.00 per candidate

25 **भण्डारः—**

अंकेक्षण में पाया गया कि निधियो ंसे खरीदी गई वस्तुओं को उपभोज्य व अनुपभोज्य रजिस्टरों के अलग—2 खाते तैयार करके दर्ज नहीं किए गए अपितु एक ही पन्ने पर विभिन्न वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टियां की गई जोकि अनुचित है अतः प्रत्येक मद का अलग—2 खाता तैयार करके एवं पूर्व रजिस्टरो से भी सभी मदों को उनके खातों में स्थानान्तरित करके बकाया मात्रा दर्शाई जाए तथा की गई कार्रवाई का सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जाए।

26 **प्रत्यक्ष सत्यापनः—**

समिश्रित एवं अन्य निधि से क्रय की गई भण्डार की वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं किया गया जोकि गम्भीर अनियमितता है अतः प्रत्यक्ष सत्यापन करके अप्रयोग वस्तुओं का निपटारा तदानुसार आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जाए।

27 **लधु आपति विवरणिका:–**इसे पृथक से जारी नहीं किया गया।

28 **निष्कर्ष:–** लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है तथा निधियों से व्यय अग्रिम जारी करने की प्रथा को बन्द किये जाने आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(11)(5)108/97 खण्ड–2 दिनांक, शिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1. प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।

2 निदेशक, शिक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171001.

3 उप निदेशक शिक्षा जिला ऊना हि0प्र0

4 श्री जितेन्द्र सिंह, अ0अ0 द्वारा...

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.